

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**Notification**

The 10th September, 2009

No. G.S.R. 23/Const./Art. 309/2009.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Excise and Taxation Commissioner's Office (Group D) Service Rules, 2008, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Excise and Taxation Commissioner's Office (Group D) Service (Amendment) Rules, 2009.

2. In the Haryana Excise and Taxation Commissioner's Office (Group D) Service Rules, 2008, for Appendix B, the following Appendix shall be substituted, namely :—

"APPENDIX B*(see rule 7)*

Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3
Peon	1. Middle Pass with Hindi	1. Middle Pass with Hindi. 2. One year service in any Government Department."

RAMENDRA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 सितम्बर, 2009

संख्या सा० का०नि० 23/संवि०/अनु० 309/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 2008 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2009, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 2008 में, परिशिष्ट 'ख' के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3
सेवादार	1. हिन्दी सहित आठवीं पास	1. हिन्दी सहित आठवीं पास; 2. किसी सरकारी विभाग में एक वर्ष की सेवा।”।

रमेन्द्र जाखू,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।